

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / १५५८/२०२३

दिनांक : १२.०५.२०२३

श्री युवराज सिंह (RJ00763), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बारां को
दिनांक 23.05.2023 से 26.05.2023 तक 04 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक
21.05.2023 से 22.05.2023 एवं 27.05.2023 से 28.05.2023 के राजपत्रित अवकाशों के
उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री सिंह की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. गुरुद्वा. न्यायिक
मजिस्ट्रेट, बारां इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड,
बारां के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा
रजिस्ट्रार (दग/करण)
12.05.2023

क्रमांक: -स्था.बी.2(4)/46/2013/३१५

दिनांक १२.०५.२०२३

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां को उनके पत्रांक 576 दिनांक 20.04.2023 के
सन्दर्भ में।
- श्री युवराज सिंह (RJ00763), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बारां।
- प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बारां।
- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां।

12.५.२०२३
सहायक रजिस्ट्रार